चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबंध मण्डल की दिनांक 8 जून, 1988 को कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश के समिति कक्ष में सम्पन्न हु 70वीं बैठक की कार्यवाही ।

उपस्थिति:-

1-	श्री एस0एस0अहमद, कुलपति	अध्यक्ष
2-	श्री रविमोहन सेठी, कृषि सचिव	सदस्य
3-	श्री संजीव नायर, संयुक्त सचिव वित्त (विशेष आमंत्रित)	सदस्य
4-	श्री अशोक कुमार, विशेष सचिव कृषि (विशेष आमंत्रित)	सदस्य
5-	श्री डा0 ऋषि राम शर्मा, कृषि निदेशक	सदस्य
6-	डा0 राम जनम सिंह, पशुपालन निदेशक	सदस्य
7-	डा0 (श्रीमती) कान्ती देवी	सदस्य
8-	डा0 जी0पी0लोधी,	सदस्य
9-	श्री हाफिज मोहम्मद उमर, विधायक	सदस्य
10-	श्री राधेश्याम, विधायक	सदस्य
11-	श्री ओ0पी0नेमानी	सदस्य
12-	श्री अवध राम सचान	सदस्य
13-	श्री ए0के0वर्मा, अर्थ नियंत्रक	सचिव

70:1 चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबंध मण्डल की दिनांक 21 मई, 1988 को सम्पन्न हुई बैठक की कार्यवाही ।

प्रबंध मण्डल ने उक्त बैठक की कार्यवाही अनुमोदित कर दी ।

70:2 चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबंध मण्डल की 21-5-88 की बैठक में लिए गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही ।

प्रबंध मण्डल ने, उक्त बैठक में डा0 एच0जी0सिंह, के डीन पद पर पारित स्थायीकरण के आदेश को निरस्त करने के सम्बन्ध में लिए गये निर्णय पर बहुमत (Majority) के आधार पर पूर्व पारित निर्णय को रद्द कर दिया । पूर्व पारित निर्णय को रद्द करने के प्रस्ताव को डा0 रामजनम सिंह, श्री राधेश्याम, डा0जी0पी0लोधी, श्री हाफिज मोहम्मद उमर, डा0 कान्तीदेवी, डा0 ऋषि राम शर्मा एवं कुलपति महोदय ने समर्थन प्रदान किया । श्री अवधराम सचान एवं श्री ओ0पी0नेमानी ने अपनी

... page 2

असम्मति व्यक्त की एवं श्री रविमोहन सेठी, कृषि सचिव ने इस प्रस्ताव पर कोई मत व्यक्त नहीं किया । प्रबंध मण्डलने यह भी निर्णय लिया कि कुलपति की अध्यक्षता में 3 सदस्यों की एक समिति गठित की जाये जो कि, डीन का पद रोटेट (Rotate) करने या (Tenurial रखने तथा Permanent आधार पर रखने के Merits और Demerits का परीक्षण करें और यदि पद Tenurial basis पर रखा जाता है तो निम्न बिन्दुओं पर भी विचार करें ।

(अ) पद के Tenure की अवधि 3 वर्ष हो या 5 वर्ष तथा ।

(ब) इस पद के चयन की प्रक्रिया क्या होगी ।

इस पद के चयन के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के परिनियमों में जो संशोधन आवश्यक हो उस पर भी अपनी आख्या दें यह रिपोर्ट 3 माह में प्रस्तुत की जाये । (कार्यवाही - निदेशक प्रशासन)

70:3 यू0जी0सी0 वेतनमान के लिए निधारित शैक्षिक योग्यता न रखने वाले शिक्षकों को अवकाश नकदीकरण की सुविधा दिये जाने के प्रस्ताव पर विचार ।

-:

वित्त समिति की अनुशंसा से सहमत होते हुये प्रबंध मण्डल ने प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया । (कार्यवाही - निदेशक प्रशासन)

70:4 डा0 एम0एल0 महेश्वरी, एसोसिएट प्रोफेसर एनीमल न्यूट्रीशन एण्ड फीड टेक्नो0, मथुरा को नाईजीरिया में दिनांक 20 जुलाई, 1987 से 23 जुलाई 1987 तक आयोजित वर्कशाप में भाग लेने की स्वीकृति प्रदान करने का प्रस्ताव ।

-:

प्रस्ताव में प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर प्रबंध मण्डल ने प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया । (कार्यवाही - डीन, मथुरा)

70:5 डा0एच0सी0पन्त, प्रोफेसर, पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महा-विद्यालय मथुरा के सोसाइटी फारदी स्टडीआफ रिप्रोडक्शन, यू0एस0ए0 में शोध पत्र पढ़ने से सम्बन्धित यात्रा की स्वीकृति प्रदान करने का प्रस्ताव ।

-:-

प्रबंध मण्डल ने डा0 पन्त को यू0एस0ए0 में शोध पत्र पढ़ने से सम्बन्धित यात्रा आदि पर रू0 11,793.90 पै0 के व्यय की स्वीकृति का प्रस्ताव अनुमोदित किया । (कार्यवाही - डीन मथुरा)

---- -3

70:6 कटानिया (इटली) में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वायोरोलाजिकल कांग्रेस में डा० वी०पी० सिंह, द्वारा मौलिक शोध पत्र प्रस्तुत करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा मनोनीत डेलीगेट की विदेश यात्रा पर हुए व्यय के भुगतान की स्वीकृति एवं उसके 50 प्रतिशत अंशदान पर हुए अग्रिम का समायोजन ।

-:

प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया और निर्देश दिया कि यह प्रस्ताव दुवारा प्रस्तुत न किया जाए । (कार्यवाही- डीन मथुरा)

70:7 To consider and approve participation of Dr.S.A.Kerkhi Scientist(S-1),Genetics and Plant Breeding,AICROP Line-seed,C.S.A.Univ.of Agri.& Tech.,Kanpur in the 'XIV International Botanical Congress" in programme Division III Genetics and Plant Breeding to be held at Berlin, West Germany from 24 July ~~to 1st Aug.,~~ 1987.

परिस्थितियों में

प्रबंध मण्डल ने विशेष/प्रस्ताव अनुमोदित किया क्यों कि कुलपति महोदय ने उक्त कांग्रेस में डा० केरखी को भाग लेनें की अनुमति दे रखी थी अत: विश्वविद्यालय द्वारा रू० 8,000/- तक की सीमा की राशि स्वीकृति किया । इसके साथ ही साथ यह भी निर्देश दिया कि इस प्रकार के कांग्रेस आदि में जिसमें विश्वविद्यालय को व्यय वहन करना पड़े उक्त उन मामलों में प्रबंध मण्डल के अनुमति के बिना अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति न प्रदान की जाए ।

70:8 Sanction of allowance to Sri S.B.Katiyar working as "Operator" of Photostat Copying Machine in Library of our University.

(असहमत होते हुए) प्रबंध मण्डल ने वित्त उप समिति की अनुशंसा से, विचारोपरान्त प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया । (कार्यवाही - लाइब्रेरियन)

70:9 डा० एम०शाविर, प्रोफेसर फार्माकोलाजी (अवकाश पर) को दिन 9-2-88 से एक वर्ष के असाधारण अवैतनिक अवकाश की स्वीकृति का प्रस्ताव ।

--:-

प्रबंध मण्डल ने डा० शाविर को 31-7-88 तक असाधारण अवैतनिक अवकाश स्वीकृति करते हुए लियन सुरक्षित करने की अनुमति प्रदान की। (कार्यवाही - निदेशक पशु...)

70:एस-1 विश्वविद्यालय के कतिपय रिक्त पदों पर चयन समिति द्वारा नियुक्ति हेतु दी गयी संस्तुतियों पर विचार हेतु प्रस्ताव ।

-:

प्रबंध मण्डल ने यह निर्णय लिया कि प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत सूची में उल्लिखित 55 अभ्यर्थियों में से, जिन अभ्यार्थियों का भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा शतप्रतिशत वित्त पोषित योजनाओं के पदों पर चयन किया गया है तथा उन्हें नियुक्त कर लिया गया है, उनको सेवा में बने रहने दिया जाये।

इसके अतिरिक्त यह भी निर्णय लिया कि उक्त चयन सूची में, जिसमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा शत प्रतिशत वित्त पोषित योजनाओं के पदों पर, सेवा में बने रहने दिया जाये और शेष की सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जाये।

(के साथ-साथ अन्य योजनाओं के पद भी शामिल है, वरीयता क्रम के अनुसार उस सूची के अभ्यार्थियों को आई० सी० ए० आर० द्वारा शतप्रतिशत वित्त पोषित योजनाओं के पदों)

प्रबंध मण्डल ने यह भी निर्णय लिया कि कुलपति की अध्यक्षता में निम्न-लिखित सदस्यों की एक समिति गठित की जाती है:-

1- कुलपति	अध्यक्ष
2- कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश	सदस्य
3- श्री अशोक कुमार, विशेष सचिव कृषि	सदस्य
4- श्री संजीव नायर, संयुक्त सचिव वित्त	सदस्य

उपरोक्त समिति सूची में वर्णित पदों के संदर्भ में अध्यापन/शोध प्रसार कार्यों के सम्बन्ध में जिन पदों की नितान्त आवश्यकता है उसका परीक्षण करने के उपरान्त 2 माह के अन्दर अपनी रिपोर्ट प्रबंध मण्डल को प्रस्तुत करदें।

70:एस:2 डा० घनश्याम सिंह, जूनियर सांइटिस्ट/असि० प्रोफेसर का 2 वर्ष के लिए धारणाधिकार सुरक्षित रखने जाने के प्रस्ताव पर विचार।

-:-

प्रबंध मण्डल ने डा० सिंह को कार्यभार से मुक्त किया जाने की तिथी से 2 वर्ष का धारणाधिकार सुरक्षित रखे जाने की अनुमति प्रदान की। (कार्यवाही-निदेशक प्रशासन)

70:एस:3 डा० रामाकान्त सिंह, कनिष्ठ वैज्ञानिक (कृषि अर्थशास्त्र) को बैंकाक में सम्पन्न हुए द्वितीय अन्तर्राष्ट्रीय मंगवीन सिम्पोजियम में भाग लेने एवं शोध पत्र प्रस्तुत करने के फलस्वरूप आये यात्रा व्यय भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

-:-

प्रबंध मण्डल ने प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया। (कार्यवाही-कृषि अधिष्ठाता विभाग)

70:एस:4 विश्वविद्यालय के अन्तर्गत रिक्त पदों पर चयन समिति द्वारा नियुक्ति हेतु दी गयी संस्तुतियों पर विचार हेतु प्रस्ताव ।
-:-

प्रबंध मण्डल ने निर्देश दिया कि मद सं0 70:एस:-1 के अन्तर्गत गठित समिति उक्त प्रस्ताव में उल्लिखित 22 पदों को भरने ... की नितान्त आवश्यकता का परीक्षण करके 2 माह के अन्दर प्रबंध मण्डल को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और उसके उपरान्त प्रबंध मण्डल उचित निर्णय लेगा । प्रबंध मण्डल ने यह भी निर्णय लिया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा शत प्रतिशत(100 प्रतिशत)वित्त पोषित योजनाओं के पदों को विश्वविद्यालय की प्लान /नान प्लान योजनाओं में कार्यरत वैज्ञानिकों को स्थानान्तरित करके भरा जाये एवं स्थानान्तरण के फलस्वरूप प्लान /नानप्लान के अन्तर्गत रिक्त होने वाले पदों को Abeyance में रखा जाये । (कार्यवाही-निदेशक प्रशासन)

70:एस:5 चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,कानपुर के वर्ष 1987-88 के आय-व्ययक के परीक्षण हेतु गठित समिति की आख्या ।
-:-:-:-:-:—:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:—:-:—:-:-:-:-:-:

प्रबंध मण्डल ने प्रस्ताव अनुमोदित किया एवं वर्ष 1987-88 के अतिरिक्त अनुदान के लिए शासन को प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया । (कार्यवाही-अर्थ नियंत्रक)

70:एस:6 वर्ष 1988-89 के आय-व्ययक के परीक्षण हेतु समिति का गठन एवं उक्त वर्ष के प्रथम तीन माह के लिए लेखानुदान के स्वीकृति का प्रस्ताव ।
-:-

कृषि सचिव ने प्रबंध मण्डल को अवगत कराया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष के प्रथम त्रैमास के लिए अनुदान अवमुक्त करने के संदर्भ में कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय ने तीनों कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को एक पत्र भेजा है । जिसमें विश्वविद्यालय की स्थापना के समय से विभिन्न पदों के सृजन एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के सम्बन्ध में सूचना मांगी है । कृषि सचिव ने मत व्यक्त किया है कि यदि विश्वविद्यालय पिछले पाँच वर्षों के सम्बन्ध में कथित सूचना उपलब्ध करा देता है तो भी अनुदान अवमुक्त कर दिया जायेगा ।

(कार्यवाही अर्थ नियंत्रक
निदेशक प्र

70:एस:7 डा0 ए0एस0वार्ली का ।नदेशक कृषि अनुसंधान केन्द्र के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक को वेतनमान रू0 1500-2500 में वेतन निर्धारण के प्रस्ताव पर विचार ।

-:

प्रबंध मण्डल ने वित्त उप समिति की अनुशंसा पर डा0 वार्ली को विश्वविद्यालय की सेवा में आने की तिथी, 16-7-87 को रू0 2125/- के स्तर पर वेतन संरक्षण का प्रस्ताव अनुमोदित किया ।

70:एस:8 डा0 आर0पी0सिंह, एसोसिएट डायरेक्टर ﴾एन0ए0आर0पी﴿का वेतनमान रू0 1500-2500 में वेतन संरक्षण के प्रस्ताव पर विचार ।

-:

वित्त उप समिति ने डा0 सिंह का वेतनमान रू0 1500-2500 में रू0 2250/- मूलवेतन संरक्षित करने की अनुशंसा की थी अत: प्रस्ताव प्रबंध मण्डल ने अनुमोदित कर दिया । ﴾कार्य0 निदेशक प्रशासन﴿

70:एस:-9 कैप्टन एस0के0गुप्ता, सुरक्षा अधिकारी,का कार्यकाल दो वर्ष पूरा होने के पश्चात सेवा में चलते रहने की स्वीकृति के प्रस्ताव पर विचार ।

-:-

प्रबंध मण्डल ने वित्त उप समिति की अनुशंसा पर कैप्टन गुप्ता का कार्यकाल बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान की और निर्देश दिया कि आगामी बैठक में कैप्टन गुप्ता को स्थायी करने का प्रस्तुत किया जाये ।

﴾कार्य0 - निदेशक प्रशासन﴿

70:एस:10 चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,कानपुर के एक्ट एण्ड फर्स्ट स्टेच्यूटस की धारा -28 ﴾ड•﴿ के परिनियम -1 ﴾घ﴿ तथा 2 को संशोधित कराये जाने का प्रस्ताव ।

-:

वित्त उप समिति की अनुशंसा पर प्रबंध मण्डल ने उक्त धारा -28﴾ड•﴿ के परिनियम-1 ﴾घ﴿ तथा 2 को संशोधित कराये जाने का प्रस्ताव अनुमोदित किया । ﴾कार्यवाही:- अर्थ नियंत्रक﴿

70:एस:11 एस-3 -26 Advance Centre of Training in Pulses Production Technology at C.S.Azad Univ.of Kanpur U.P.in the Central Sector NAEP-III.

उपरोक्त प्रस्ताव के संदर्भ में वित्त उप समिति ने अपनी बैठक दिनांक 24-3-1988 एवं 22-4-88 में निम्नलिखित संस्तुति दी थी :-

﴾1﴿ इस योजना में कोई भी नयी नियुक्ति न की जाए ।

﴾2﴿ विश्वविद्यालय के अन्य पद जिनको Abeyance में रखा जायेगा उनकी सूची वित्त उप समिति की अगली बैठक में प्रस्तुत की जाये ।

प्रबंध मण्डल ने उपरोक्त अनुशंसा से सहमति देते हुए कह दिया कि उक्त योजना में नई नियुक्तियाँ न की जायें बल्कि आयोजनेत्तर पक्ष में कार्यरत वैज्ञानिकों व कर्मचारियों को स्थानान्तरित करके [illegible] पद भरे जायें और इस प्रकार आयोजनेत्तर पक्ष में होने वाले रिक्त पदों को Abeyance में रखे जाये :-। और यह प्रतिबन्ध [illegible] पदों पर भी लागू होगा।

(कार्य० निदेशक प्रशासन /निदेशक प्रसार)

70:एस:12 **Grant of payscale of Rs.500-900 & designation of Reasearch Assistant to employees of Gr.II & III who have completed their B.Sc.(Ag.) before 30.6.85.**

प्रबंध मण्डल, वित्त उप समिति के अनुशंसा से सहमत होते हुए उक्त प्रस्ताव को शासन को सदर्भित करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया।

(कार्य० :- निदेशक प्रशासन)

70:एस:13 डा० वी०पी०जोशी, सह आचार्य औषधि विज्ञान विभाग वेटेरीनरी कालेज, मथुरा द्वारा बुल्गारिया में आयोजित होने वाली 30वीं अन्तर्राष्ट्रीय सिम्पोजियम में भाग लेने की स्वीकृति हेतु प्रबंध मण्डल के अनुमोदनार्थ एजेन्डा नोट।

-:-

डा० जोशी ने उक्त सिम्पोजियम में भाग नहीं लिया था अत: प्रस्ताव वापस ले लिया गया।

70:एस:2-1 विश्वविद्यालय के अन्तर्गत रिक्त पदों पर चयन समिति द्वारा नियुक्ति हेतु दी गयी संस्तुतियों पर विचार हेतु प्रस्ताव।

-:-

प्रबंध मण्डल ने मद संख्या 70 एस-1 के अन्तर्गत गठित समिति उक्त प्रस्ताव में वर्णित 10 पदों को भरने [illegible] की नितान्त आवश्यकता कापरीक्षण करके 2 माह के अन्दर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत [illegible] करेगी और तदुपरान्त प्रबंधमण्डल उचित निर्णय लेगा।

(कार्य० निदेशक प्रशासन)

70:एस-2-2 अधिष्ठाता पशुचिकित्सा संकाय वेतनमान रू०1500 -2500 के पद पर डा० जे०एन०द्विवेदी को स्थाई करने के प्रस्ताव पर विचार।

--:-

प्रस्ताव आगामी बैठक के लिए स्थगित कर दिया गया। (कार्यवाही- निदेशक प्रशासन)

70:एस-3:(1) डा० रामनाथ, सह प्राध्यापक, पैथोलोजी प्रयोगशाला निदान विभाग की चिकित्सा पर किए गये व्यय की स्वीकृति पर विचार।
-:

प्रबन्ध मण्डल ने डा० रामनाथ की चिकित्सा पर हुए व्यय रू० 45000/- की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की।

70:एस:3(2) श्री सूबेदार, कनिष्ठ लिपिक फसल शोध प्रक्षेत्र [illegible] की पुत्री की चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति के भुगतान पर विचार।
-:

श्री सूबेदार की पुत्री की चिकित्सा पर हुए व्यय रू० 1374-42 पै० की प्रतिपूर्ति हेतु स्वीकृति प्रदान की।

70:एस:3(3) श्री आर०गुरनानी, आर्टिस्ट कीट विज्ञान विभाग की चिकित्सा प्रति-पूर्ति के भुगतान पर विचार।
-:

प्रबन्ध मण्डल ने विशेष परिस्थितियों में श्री गुरनानी को वित्त उप समिति की अनुशंसा पर प्राइवेट अस्पताल में चिकित्सा कराने की अनुमति एवं रू० 10,402-85 के व्यय की प्रतिपूर्ति करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया। प्राइवेट अस्पताल में चिकित्सा कराने की अनुमति को उदाहरण नहीं माना जायेगा।

70:एस:3(4) डा० उदलसिंह, पिगेट ब्रीडर, चन्द्र शेखर आजाद की पत्नी श्रीमती चन्द्रकान्ता की चिकित्सा प्रतिपूर्ति के भुगतान पर विचार।
-:

वित्त उप समिति की अनुशंसा पर प्रबन्ध मण्डल ने डा० [सिंह] को रू० 3276-85 पै० के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु स्वीकृति प्रदान की। (कार्यालय अधिष्ठाता छात्र कल्याण)

70:एस:3(5) पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशु महाविद्यालय,मथुरा के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा स्वयं या परिवार के सदस्यों की चिकित्सा पर किए गये व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु प्रस्ताव।
-:

70:एस:3(6) पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय, मथुरा के कर्मचारी द्वारा स्वयं या परिवार के सदस्यों की चिकित्सा पर किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु प्रस्ताव।
-:

70:एस:3(7) श्री नारायण दास, वार्ड अटेन्डेन्ट की धर्मपत्नी श्रीमती प्यारा देवी की चिकित्सा पर हुए रू० 2470/- पै०0 मात्र के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु प्रस्ताव।
-:

---10

70:एस-3§10 चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,कानपुर के मथुरा प्रागंण के श्री रविबहादुर चौकीदार को रू0 1624-70पै0 के के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु स्वीकृति का प्रस्ताव ।

-:-

70:एस-3§11§ चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,कानपुर के मथुरा प्रागंण के श्री कृष्ण वल्लभ सारस्वत, पशुधन विकास अधिकारी द्वारा चिकित्सा पर किए गये व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु प्रस्ताव ।

-=-:-

70:एस-3§12§ पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय,मथुरा के श्री एम0के0शर्मा शोध सहायक द्वारा अपनी माताजी की चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रपूर्ति हेतु प्रस्ताव ।

-:-

वित्त उप समिति की अनुशंसा पर प्रबंध मण्डल ने मथुरा प्रागंण के निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके सम्मुख लिखी राशि की प्रतिपूर्ति हेतु स्वीकृति प्रदान की :-

1-	डा0 जी0आर0सिंह,	रू0	3626-85
2-	डा0 एम0एम0 नौटियाल,सह आचार्य	रू0	3292•50
3-	श्री ब्रजवीर सिंह,सख्याकिय	रू0	3931•50
4-	श्री हरिविलास सिंह, प्रयोग शाला सेवक	रू0	1449-30
5-	श्री सोहन लाल गर्ग, आशुलिपिक	रू0	2527•05
6-	,, बाबूलाल,प्रयोग शाला सहा,	रू0	4678-05
7-	,, प्रेम बल्लभ चौकीदार	रू0	1204•00
8-	,, नारायनदास,प्रयोगशाला सहायक	रू0	3148•90
9-	श्री भोलू सिंह, मेट	रू0	2073•60
10-	,,वासदेव सईस	रू0	1318•60
11-	श्री नारायण दास,लैब अटेन्डेन्ट	रू0	2470•80
12-	श्री रविबहादुर, चौकीदार	रू0	1624•70
13-	श्री कृष्ण वल्लभ सारस्वत, पशुधन विकास अधिकारी	रू0	3952•10
14-	श्री एम0के0शर्मा, शोध सहायक	रू0	3559•40

वित्त उप समिति ने यह भी अनुशंसा की कि मथुरा प्रागंण के अधिकारी /कर्मचारी राजकीय अस्पताल में ही चिकित्सा करायें किन्तु [illegible] पूर्व अनुमति के उपरान्त यह सुविधा उपलब्ध होगी।

70:एस-3(8) चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के मथुरा प्रागंण के डा० जे०एन०द्विवेदी प्रोफेसर आफ पैथोलाजी द्वारा चिकित्सा पर किये गये पूर्ति हेतु प्रस्ताव ।

-:

70:एस:3(9) चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के मथुरा प्रागंण के डा० एस०एस०अहलूवालिया, आचार्य पारजैविकी विज्ञान द्वारा चिकित्सा पर किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु प्रस्ताव

-:

70:एस:3(13) चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के मथुरा प्रागंण के श्री रमेश चन्द्र पाराशर लेखाकार द्वारा चिकित्सा पर किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति ... ।

-:

वित्त समिति की अनुशंसा पर प्रबंध मण्डल ने निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारी को प्राईवेट अस्पताले में कराई गयी चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु विशेष रूप से स्वीकृति प्रदान की परन्तु भविष्य में इस स्वीकृति को उदाहरण नहीं मानाजायेगा ।

70.S-3(8)	1-	डा० जे०एन०द्विवेदी	रू० 18,950·00
70.S-3(9)	2-	डा० एस०एस०अहलूवालिया	रू० 4,266·35
70.S-3(13)	3-	श्री रमेश चन्द्र पाराशर	रू० 11,780·65

(कार्यालय-डीन मथुरा)

70:एस:3(14) श्री राम अवध सिंह, सम्पत्ति एवं प्रशासन अधिकारी के पुत्र की चिकित्सा पूर्तिपूर्ति पर विचार ।

-:

70:एस:3(15) श्री हितलाल हलवाहा पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान संभाग की पत्नी की चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु भुगतान पर विचार।

70:एस:3(16) डा० एस०एस०वार्सी निदेशक शोध के चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति/भुगतान पर विचार ।

-:

वित्त उप समिति की अनुशंसा पर प्रबंध मण्डल ने निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारी को उनके सम्मुख अंकित राशि की प्रतिपूर्ति हेतु स्वीकृति प्रदान की ।

70:S-3(14)	1-	श्री रामअवध सिंह,	रू० 1063·98
70:S-3(15)	2-	श्री हितलाल	रू० 2169·30
70:S-3(16)	3-	श्री डा०ए०एस०वार्सी	रू० 1310·00

(अधिष्ठाता छात्र कल्याण)

70:एस:3§17§ डा0 आर0पी0सिंह, सह निदेशक §एन0ए0आर0पी0§भरारीझांसी तथा डा0 जे0चतुर्वेदी, मुख्य प्रशिक्षण अधिकारी के0वी0के0मथुरा के लीव सेलरी तथा पेंशन कन्ट्रीब्यूशन का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा किए जाने के प्रस्ताव पर विचार ।

-:-

वित्त उप समिति ने डा0आर0पी0सिंह, एवं डा0 जे0 चतुर्वेदी के मूल विभाग अर्थात भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को लीव सेलरी कन्ट्रीब्यूशन एवं पेंशनरी कन्ट्रीब्यूशन भुगतान करने की अनुशंसा की थी ।

प्रबंध मण्डल ने उक्त अनुशंसा को निम्नलिखित प्रतिबंधो के साथ अनुमोदित किया :-

§1§ उक्त अंशदान दो वर्ष की अवधि अथवा जब तक लियन है, जो दोने में कम हो, कि अवधि के लिए अनुमन्य होगा ।

§2§ उक्त अवधि में विश्वविद्यालयद्वारा उक्त दोनो अधिकारीयों के की भविष्य निधि खाते में कोई अंशदान नहीं दिया जायेगा ।

(कार्य. निदेशक प्रशासन §

70:एस:3§19§ Agenda note for accepting a centre on All India Coord. Research Project on Plant Parasitic Nemotodes with Integrated approach for their Control in the Deptt.of Entomology.

इस योजना में वर्णित पद §1§ असिस्टेन्ट नेमोटोलाजिस्ट §2§ फील्डमैन एवं §3§ लैब अटेन्डेन्ट आयोजनेत्तर । आयोजनागत योजनाओं में कार्यरत वर्तमान पद धारको को स्थानान्तरित करने के उपरान्त भरे जाये एवं स्थानान्तरण के परिणामस्वरूप रिक्त होने वाले पद§ Abeyance § मे रखो जाये । वित्त उप समिति की इस संस्तुति के आधार पर परियोजना अनुमोदित करदी ।

(कार्य. निदेशक शोध§

70:एस-3§20§ Agenda note for accepting a centre on All India Coord. Research Project on White-grub in the Department of Entomology.

प्रबंध मण्डल ने वित्त उपसमिति की अनुशंसा के आधार पर असिस्टेन्ट इन्टोमालोजिस्ट व फील्ड सहायक के पदों को आयोजनेत्तर/

/आयोजनागत में कार्यरत वर्तमान पदधारकों को स्थानान्तरित करके भराजाये की अनुमति प्रदान की औरस्थानान्तरण के पश्चात रिक्त हुए पदों को Abeyance में रखा जाये ।

70:एस:3{21} Proposal for start of All India Coord.Research Project on Tobacco sanctioned by I.C.A.R. continuance and strengthening during 7th Plan period.

प्रबंध मण्डल ने वित्त उप समिति की अनुशंसा पर जूनियर एग्रोनामिस्ट ;टैक्नीकल सहायक;टी-4 व कृषि सहायकों के पदों को आयोजनेत्तर /आयोजनागत योजनाओं में कार्यरत पदधारकों को स्थानान्तरित करके भरने की अनुमति प्रदान की और स्थानान्तरण के फलस्वरूप रिक्त हुए पदों को Abeyance में रखा जाये ।

70:एस:3{22} To accept the new All India Coordinated Research Project on Agro-Forestry for VII Plan(w.e.f.1.4.85 to 31.3.90).

वित्त उप समिति की अनुशंसा पर प्रबंध मण्डल ने योजना में स्वीकृति ग्यारह पदों को आयोजनेत्तर/आयोजनागत योजनाओं में कार्यरत पदधारकों को स्थानान्तरित करके भरने की अनुमति प्रदान की और स्थानान्तरण के फलस्वरूप रिक्त हुए पद Abeyance में रखे जाये ।

कार्यवाही-
{ उपनिदेशक शोध }

70:एस:3{23} To consider and approve the enhancement in the value of Book Prizes awarded to the First Position holder in each subject in Post-graduate classes.

वित्त उप समिति की अनुशंसा पर प्रत्येक विषय में प्रथम पोजीशन वाले छात्रों को रू0 500/- किताबी इनाम की राशि प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की। {कार्यवाही - डी0एस0डब्लू0}

70:एस:3{24} कर्मचारियों को झांसी से भरारी जाने पर आने व जाने हेतु वाहन व्यवस्था का प्रबंध मण्डल द्वारा अनुमोदन ।

झांसी से भरारी जाने पर जाने व आने की व्यवस्था हेतु योजना में उपलब्ध मिनीबस की सुविधा उपलब्ध कराने एवं कथित सुविधा उपलब्ध कराने के फलस्वरूप प्रति कर्मचारी/वैज्ञानिक प्रतिमाह खर्चे की

----15

राशि के रूप में रू0 30/- जमाकराने के लिये वित्त उप समिति की अनुशंसा पर सहमति प्रदान की ।

कार्यवाही-
/निदेशक शोध॥

70:एस:3॥25॥ विश्वविद्यालयमें बी0टेक॰ ॥कृषि अभियंत्रण॥ के क्षात्रों हेतु शुल्क मुक्ति एवं आर्थिक सहायता पर विचार ।
-:-

उक्त प्रस्ताव पर वित्त उप समिति की 22-4-88 की बैठक में निम्न-लिखित निर्णय लिया गया :-

॥1॥ प्रत्येक कक्षा में 2 क्षात्रों को रू0 100/- प्रतिमाह की दर से शुल्क मुक्ति सहित मेरिट क्षात्र वृत्ति ।

॥2॥ शुल्क मुक्ति -प्रत्येक कक्षा में प्रवेश पाये क्षात्रों को 10 प्रतिशत अथवा अधिकतम चार क्षात्रों को । केवल शुल्क मुक्त के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि अभिभावकों की वार्षिक आय रू0 9000/- (नौ हजार) से अधिक न हो और यदि अभिभावक नियमित रोजगार में न लगे हों तब तहसीलदार का एक प्रमाण पत्र या Affidavit मांगा जाये

प्रवध मण्डल को श्री के0एल0मीना संयुक्त सचिव कृषि के पत्रांक 1828/बारह-8-400 दिनांक 23-5-88 से अवगत कराया गया जिसमें उल्लेख था कि उक्त बैठक में Affidavit मांगने के का निर्णय नहीं हुआ था । पत्र पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि Affidavit का भी प्राविधान रखा जाये ।

कार्यवाही-
॥ /छात्र अधिष्ठाता छात्र कल्याण॥

70:प्रस:3॥27॥ डा0 आर0पी0सिंह; वरिष्ठ /प्रबंधक को सेवाओं से डिस्चार्ज किये जाने की तिथि 15-6-87 से पुन: सेवाओं मे लिये जाने की तिथी 21-9-87 की अवधि का वेतन भुगतान करने के प्रस्ताव पर विचार ।
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:--:-:-:-:-:-:

डा0 सिंह; को पुन: सेवा में लेने कीअवधि कावेतन भुगतान करने की की अवधि 31-7-88 तक बढाने की स्वीकृति प्रदान की । प्रवध मण्डल ने अपनी 67वीं बैठक दिनांक 12-1-88 /डिस्चार्ज करने/एवं पुन: सेवा में लेने की अवधि का वेतन भुगतान करने के प्रकरण पर विधिक राय

प्राप्त करने का निर्देश दिया गया था इस सम्वन्ध में निदेशक, प्रशासन की टिप्पणी 6 जून, 1988 नियुक्ति आदेश एवं हाई- (प्रतिलिपि संलग्न है) -कोर्ट द्वारा किये गये निर्णय से प्रबंध मण्डल को अवगत करा दिया गया है ।

(कार्यवाही निदेशक प्रशासन)

70:एस:-4(1) Purchase Rules for the Chandra Sekhar Azad University of Agriculture & Technology, Kanpur.

70:एस:4(2) इंजीनियरिंग विभाग के तीन पद सहायक कृषि अभियन्ता वेतनमान रू0 850-1720 को यू0जी0सी0 वेतनमान रू0 700-1600 में परिवर्तित किये जाने के प्रस्ताव पर विचार ।

-:

70:एस:4(6) विश्वविद्यालय में निर्धारित वेतन रू0 1600/-(1800) प्रतिमाह में रिसर्च एसोसिएट के रूप में कार्यरत कर्मचारियों को वेतनमान रू0 700-1600 में नियमित नियुक्ति किये जाने के प्रस्ताव पर विचार ।

-:

70:एस:4(11) विश्वविद्यालयमें कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के त्योहार अग्रिम धनराशि बढ़ाये जाने के प्रस्ताव पर विचार ।

-:

70:एस:4(14) विश्वविद्यालय कर्मचारियों को खेल सम्बन्धी सुविधाये उपलब्ध कराने हेतु रू0 2500/- वार्षिक धनराशि व्यय करने के प्रस्ताव पर विचार ।

-:

प्रबंध मण्डल ने उपरोक्त प्रस्तावों पर विचार करने के उपरान्त वित्त उप समिति को संदर्भित कर दिया ।

70:एस:4(2) डा0 आर0एस0भाटिया, जूनियर साइंटिस्ट/असि0 प्रोफेसर को एक वर्ष के लिये और लियन सुरक्षित रखे जाने के प्रस्ताव पर विचार ।

-:

प्रबंध मण्डल ने प्रस्ताव पर विचारोपरान्त डा0 भाटिया का लियन 31-7-88 तक सुरक्षित रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की ।

(कार्यवाही: निदेशक प्रशासन)

70:एस:4§3§ विश्वविद्यालय में प्लान /नान प्लान / नये सृजित विभागों में रिक्त शोध तथाशिक्षण से सम्बन्धित आवश्यक पदों को भरे जाने के प्रस्ताव पर विचार ।
-:-

प्रबंध मण्डल ने प्रस्ताव पर विचार विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया कि मद संख्या 70:एस-1 के अन्तरगत गठित समिति इस प्रस्ताव का परिक्षण करके 2 माह के अन्दर अपनी आख्या प्रस्तुत करेंदें ।

§कार्यवाही निदेशक प्रशासन§

70:एस:4§5§ उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण लेखनऊ के निर्णयानुसार श्री केशावदयाल यादव,मिस्त्री को दिनांक 1-8-72 से वेतनमान रू0 230-380 देने के प्रस्ताव पर विचार ।
-:-

विचार विमर्श के उपरान्त प्रवध मण्डल ने निर्णय लिया कि उक्त प्रस्ताव लोक सेवाअधिकरण के निर्णय की प्रतिलिपि के साथ पुन: प्रस्तुत किया जाये ।

§कार्यवाही निदेशक प्रशासन§

70:एस:4§7§ पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय,मथुरा चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,मथुरा प्रागंण मथुरा पर मुख्यालय की तरह ; विभिन्न प्रशासनिक कार्यालयों के सुदृणीकरण के प्रस्ताव पर विचार ।
-:

प्रवध मण्डल ने प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया ।

70:एस:4§9§ विश्वविद्यालयमें आई0सी0ए0आर0 को आर्डिनेटेड प्रोजेक्ट एवं शात प्रतिशात वित्त पोषित इन्डोस्वीडिशप्रोजेक्ट तथा प्रोफेसर इफको चेयर के पदों के विभाग /पदों को स्थाई एवं कार्यरत अधिकारियों को स्थाई किए जाने के प्रस्ताव पर विचार ।
-:--:-

प्रवध मण्डल ने प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया ।

70:एस:4§8§ विश्वविद्यालय में सृजित होम साइंस,कृषि अभियंत्रण तथा निदेशाकलय शोध विभागों को स्थाई किए जाने एवं इन विभागों में कार्यरत जिन अधिकारियों ने 2 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर लिया है,उनको [illegible]
-=-

इस प्रस्ताव पर आगामी बैठक के लिएविचार स्थगित कर दिया ।

(कार्य0§ निदेशक प्रशासन §

70:एस=5(13) उद्यान विभाग में हाटीकल्चर सुपरवाइजर तथा नर्सरी निरीक्षक वेतनमान रू0 400-615 के दो पदों के स्थान पर एक पद उद्यान अधीक्षक वेतनमान रू0 470-735 के सृजन हेतु प्रस्ताव ।
-:-

प्रस्ताव पर विचार विमर्श के बाद प्रबंध मण्डल ने निर्देश दिया कि उक्त प्रस्ताव आगामी बैठक में प्राध्यापक एवं अध्यक्ष उद्यान विभाग की अनुशंसा के साथ प्रस्तुत किया जाये ।

(कार्यवाही निदेशक - प्रशासन)

70:एस:4(10) विश्वविद्यालय में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को भवन अग्रिम दिये जाने के प्रस्ताव पर विचार ।
-:-

70:एस:4(12) विश्वविद्यालय में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को फसल के समय गल्ला अग्रिम दिये जाने के प्रस्ताव पर विचार ।
-:-

70:एस:4(15) विश्वविद्यालय में कार्यरत दैनिक मजदूरी बढ़ाने पर विचार ।
-:-

70:एस:4(16) विश्वविद्यालय कर्मचारियों को चिकित्सा व्यय कीप्रतिपूर्ति की प्रक्रिया पर विचार एवं उसका सरलीकरण ।
-:-

उपरोक्त प्रस्ताव संख्या 70 एस-4(10)(12)(15)/16 पर कुलपति एवं अध्यक्ष की अनुमति से अध्यक्ष, गैरतकनीकी कर्मचारी परिषद को प्रबंध मण्डल को सम्बोधित करने का अवसर प्रदान किया गया। प्रबंध मण्डल ने उक्त प्रस्तावों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया और इन प्रस्तावों को वित्त उप समिति को संदर्भित कर दिया क्यों कि इन प्रस्तावों में वित्तीय उपाशय निहित है ।

प्रबंध मण्डल के अन्य निर्देश
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

1- प्रबंध मण्डल ने निर्देश दिया कि वित्तीय उपाशय के प्रस्ताव वित्त उप समिति की अनुशंसा के साथ ही प्रस्तुत किये जाये किन्तु यदि प्रबंध मण्डल के सम्मुख प्रस्ताव सीधे प्रस्तुत किये जाते हैं तो टिप्पणी में उन अपरिहार्य परिस्थितियों का उल्लेख किया जाये जिससे कि उस प्रस्ताव को सीधे प्रबंध मण्डल के सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत करना पड़ा ।

2- वित्त उप समिति सामान्यतः यदि किसी प्रस्ताव को अस्वीकृत करने की अनुशंसा करती है तो उस प्रस्ताव को प्रबंध मण्डल के सामने प्रस्तुत न किया जाये । कुलपति महोदय, विशेष परिस्थितियों में यदि यह नितान्त आवश्यक समझते है कि वित्त उप समिति की असहमति के

3- यदि प्रबंध मण्डल द्वारा कोई प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया -

के उपरान्त भी प्रस्ताव प्रवध मण्डल के सामने रखा जाये तो उन उन विशेष कारणों काउल्लेख किया जाये ।

3- यदि प्रवध मण्डल द्वारा कोई प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया जाता है तो उसे पुन: प्रस्तुत नकिया जाये ।

4- वैज्ञानिकों द्वारा विदेशों में अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्टियों/ सेमिनार आदि में भाग लेने के सम्बन्ध में वित्त उप समिति के माध्यम से एक विस्तृत टिप्पणी प्रबध मण्डल के सामने प्रस्तुत की जाये जिससे कि इस प्रकरण के विभिन्न वित्तीय पहलूओं जैसे हवाई जहाज का किराया रजिस्ट्रेशन शुल्क, दैनिक भत्ता, एवं अन्य व्यय आदि किस सीमातक विश्वविद्यालय द्वारा वहन किये जाये पर भी विचार किया जाये ।

5- कुलपति महोदय ने श्री के0एल0मीना, संयुक्त सचिव कृषि के पत्रांकदिनांक 13-4-1988 [प्रतिलिपि संलग्न] के परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालय में रिक्त गैर तकनीकी पदों को भरने के सम्बन्ध में प्रवध मण्डल से निर्देश माँगा । प्रवध मण्डल ने विचार करने के वाद निर्णय लिया कि इन पदों पर प्रोन्नति करने पर कोई आपत्ति नहीं होगी । किन्तु पदोंन्नति के उपरान्त विभिन्न संवर्गों में निम्न श्रेणी में रिक्त होने वाले पदों को प्रत्येक दशा में रिक्त रखाजायेगा ।

6- वैठक के अन्त में माननीय सदस्य श्री ओ0पी0नेमानी, ने, श्रीए0के0 वर्मा, कम्पट्रोलर, जिनके स्थानान्तरण आदेश वित्त विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वाराजारी कर दिये गये हैं, यह प्रस्तावित किया कि प्रवध मण्डल की वैठकों में प्रवध मण्डल के सचिव के रूप में जो सहयोग श्री वर्मा से प्राप्त हुआ हैवह अत्यान्त ही सराहनीय रहा है । अत: प्रवध मण्डल से श्री वर्मा द्वारा की गयी वहुमूल्य एवं सराहनीय सेवाओं के लिये प्रशंसा प्रस्ताव पारित करने का अनुरोध किया है और कुलपति महोदय को प्राधिकृत किया कि वे इस विषय पर प्रशंसा प्रस्ताव तैयार करके कार्यवाही में सम्मिलित करदें जो

(A.K. Varma)
Comptroller & Secretary
Board of Management

—19

जो निम्न प्रकार है ।

" This Board wishes to place on record its deep appreciation of the excellent work done by Sri A.K. Varma as its Secretary during the last five years. Shri Varma's intimate knowledge of rules and regulations and his vast experience, proved to be invaluable in the efficient and smooth functioning of the Board. Shri Varma's knowledge of procedural details, courteous manners and tactful handling of ticklish situations enabled the Board to conduct its business in a smooth and orderly manner. The Board, therefore greatly commends the services rendered by Sri Varma in his capacity as its Secretary.

2- The Board further decides that a copy of this resolution be sent to Government in the Finance Department for being placed in his personal file. "

14/6

(S.S. AHMED)
Vice-Chancellor
Chairman, Board of
Management